दृष्टि The Vision

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव

प्रिलिम्स के लिये:

भारत के उपराष्ट्रपति, संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

मेन्स के लिये:

भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में होने वाले उप-राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- **उपराष्ट्रपति:**
  - उपराष्ट्रपति भारत का **दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक** कि **उत्तराधिकारी द्वारा** पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
  - उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।
  - उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
  - उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
- **योग्यता:**
  - भारत का नागरिक होना चाहिये।
  - 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
  - राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
  - केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
- **निर्वाचन मंडल:**
  - भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  - **निर्वाचन मंडल :**
    - राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
    - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
    - लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

चुनाव प्रक्रिया क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
  - चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1

(एक)।

- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
    - तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान **चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी** के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
2. जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Ans: (b)

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो इसके सत्रों की अध्यक्षता करता है लेकिन वह उस सदन का सदस्य नहीं है। तथापि उपसभापति, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन के दिन-प्रतिदिन के मामलों को देखता है, राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। इस प्रकार उपसभापति सदन का सदस्य होता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेश सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसलिये दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का कोई अधिकार नहीं है।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है।**अत: कथन 2 सही है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/election-to-the-office-of-the-vice-president-of-india